हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

69वीं बैठक का एजेण्डा

दिनांकः 30 / 12 / 2019

(परिचालन के माध्यम से)

65

हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण की 69वी बोर्ड बैठक (परिचालन विधि) का कार्यवृत्त

पत्रावली संख्या:– मान0/हरि0/375/1995–96

मद संख्या 69 (01)

विषय:– खसरा संख्या 04/26 को हरिद्वार रूडकी विकास प्राधिकरण की महायोजना 2025 में कुम्भ क्षेत्र भू–उपयोग से आवासीय भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने विषयक ।

उत्तराखण्ड शासन के शहरी विकास अनुभाग–03 के पत्र संख्या 2655 दिनांक 27 नवम्बर 2019 के साथ संलग्न श्री जयेश रादडीया, मा0मंत्री भारत सरकार के पत्र संख्या 444 दिनांक 19.11.2019 जोकि मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन सरकार को सम्बोधित है तथा उत्तराखण्ड शासन आवास अनुभाग–02 के पत्र संख्या 1568 दिनांक 12.12.2019 जिसके अन्तर्गत नगर निगम हरिद्वार की सीमा स्थित खसरा संख्या 04/26 ग्राम भोपतवाला कलां परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार को हरिद्वार रूडकी विकास प्राधिकरण की महायोजना 2025 में **"कुम्भ क्षेत्र"** भू–उपयोग से **आवासीय भू–उपयोग** परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में सुस्पष्ट आख्या/प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

अवगत कराना है कि प्रश्नगत खसरा नम्बर 04/26, भूखण्ड क्षेत्रफल 1084.07 वर्ग मी0 पर हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 26.03.1996 में आवासीय आश्रम का मानचित्र स्वीकृत किया गया है। भू–उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्तावित स्थल स्वीकृति मानचित्र स्थल से लगा हुआ है जिसे संलग्न साईट प्लान में बी0 के रूप में दर्शित किया गया है।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 468 दिनांक 12.07.2019 के द्वारा भूउपयोग परिवर्तित किये जाने की प्रकिया निर्धरित की गयी है। जिसके अनुसार मुख्य नगर नियोजक की तकनीकि आख्या/अभिमत सहित प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करते हुए बोर्ड के अभिमत से शासन को अवगत कराया जाना है। तत्क्रम में प्रश्नगत खसरा संख्या 04/26 ग्राम भोपतवाला कलां परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार कुल क्षेत्रफल 3522 वर्ग मी0 को कुम्भ मेला भूउपयोग से आवासीय आश्रम में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

तदनुसार उपरोक्त प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा परिचालन के माध्यम से अनुमोदित।

उपाध्यक्ष हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण हरिद्वार	~~मुख्य नगर एवं ग्राम~~ नियोजक ग्राम्य एवं नगर नियोजन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून	अध्यक्ष न0पा0प0 शिवालिक नगर हरिद्वार

नगर आयुक्त नगर निगम हरिद्वार	जिलाधिकारी हरिद्वार	सचिव/प्रमुख सचिव वित्त	सचिव/प्रमुख सचिव सिंचाई

सचिव/प्रमुख सचिव पेयजल	सचिव/ ~~प्रमुख सचिव~~ तीर्थाटन/पर्यटन	उप सचिव ~~सचिव~~/ ~~प्रमुख सचिव~~ आवास

आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/
एंव अध्यक्ष ह0रू0वि0प्रा0

प्रेषक,

सचिव,
हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन, देहरादून।
4. प्रमुख सचिव, तीर्थाटन/पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन, देहरादून।
5. प्रमुख सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन, देहरादून।
6. जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।
7. उपाध्यक्ष, हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
8. वरिष्ठ नगर एवं ग्राम नियोजक, ग्राम्य एवं नगर नियोजक विभाग, उत्तराखण्ड़, देहरादून।
9. मुख्य नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार।
10. अध्यक्ष, नगर पंचायत, रानीपुर हरिद्वार।

संख्या : 2287/प्रशा0–2(क)–22/79/2019–20 दिनांकः 06/01/2020

विषय : **हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण की (परिचालन विधि से सम्पन्न) 69वीं बोर्ड बैठक दिनांक 30.12.2019 के कार्यवृत्त का प्रेषण।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण की 69वीं बोर्ड बैठक (परिचालन विधि से) दिनांक 30.12.2019 को सम्पन्न हुई। बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

O/C (हरबीर सिंह)
सचिव

प्रतिलिपिः–

अध्यक्ष, ह0रू0वि0प्रा0/आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी को उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति संलग्न कर सादर प्रेषित है।

O/C (हरबीर सिंह)
सचिव

कार्यालय हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण,हरिद्वार

संख्या : 2288/प्रशा0–2(क)–22/79/2019–20 दिनांकः– 06/01/2020

1– संयुक्त सचिव, शाखा कार्यालय, रूडकी एंव लक्सर
2– मुख्य वित्त अधिकारी, ह0रू0वि0प्रा0, हरिद्वार।
3– अधीक्षण अभियन्ता, ह0रू0वि0प्रा0, हरिद्वार ।
4– समस्त सहायक अभियन्ता/सहा0नगर नियोजक ह0रू0वि0प्रा0, हरिद्वार।
5– समस्त अवर अभियन्ता/मानचित्रकार/सर्वेयर।
6– प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ सहायक/समस्त सहायक।
7– आई0टी0अनुभाग/गार्ड फाईल।

प्राधिकरण की 69वीं बोर्ड बैठक दिनांक 30.12.2019 (परिचालन के माध्यम से सम्पन्न) के कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि अपने–अपने अनुभाग से सम्बन्धित कार्यवृत्त में लिये गये निर्णय के अनुसार अनुपालन करते हुए कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

सचिव
हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

प्रतिलिपिः

उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव

प्रेषक,

सचिव,
हरिद्वार–रुड़की विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार ।

सेवा में,

मुख्य प्रशासक,
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण,
राजीव गाँधी काम्पलैक्स, देहरादून ।

दिनांक 06 जनवरी, 2020

पत्रांक: 2290 /मान0/हरि0/375 /1995–96

विषयः खसरा संख्या–04 /26 को हरिद्वार–रुड़की विकास प्राधिकरण के महायोजना 2025 में कुम्भ क्षेत्र भू–उपयोग से आवासीय भू–उपयोग परिवर्तन किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1568 /वी0–2/80(आ0)19/2019 दिनांक 12.12.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें । प्रश्नगत प्रकरण परिचालन के माध्यम से हरिद्वार–रुड़की विकास प्राधिकरण के बोर्ड के समक्ष दिनांक 30.12.2019 को प्रस्तुत किया गया था, बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय को कार्यालय पत्र संख्या–2287 दिनांक 06.01.2020 के द्वारा शासन को प्रेषित किया गया है सुलभ सन्दर्भ हेतु छायाप्रति संलग्नक–1 के रूप में संलग्न है । भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में शासन द्वारा प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए शासनादेश संख्या–468 दिनांक 12.07.2019 निर्गत किया गया है, जिसके अनुसार आवेदक को संबंधित प्राधिकरण के साथ–2 नगर एवं ग्राम नियोजन के क्षेत्रीय कार्यालय को भू–उपयोग परिवर्तन संबंधी आवेदन किये जाने का प्राविधान है ।

भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 14.12.2018 के साथ साईट प्लान, विक्रय विलेख व पूर्व स्वीकृत मानचित्र की प्रति प्रस्तुत करते हुए पूर्व की भाँति भू–उपयोग आवासीय करने का अनुरोध किया गया है, जो संलग्नक–2 के रूप में संलग्न है इस संबंध में उल्लेख कराना है कि हरिद्वार महायोजना 2025 के अनुसार आश्रम मानचित्र की स्वीकृति हेतु भू–उपयोग आवासीय (आर0–3) निर्धारित है । अवगत कराना है कि भू–उपयोग परिवर्तन हेतु संलग्न साईट प्लान को A व B जिसका क्षेत्रफल कमशः 1572.00 व 1950.00 सहित कुल क्षेत्रफल 3522.00 वर्गमी0 है, जिसमे से A पर पूर्व स्वीकृत मानचित्र का उल्लेख किया गया है । अभिलेखों के अनुसार पूर्व स्वीकृत मानचित्र का भूखण्ड क्षेत्रफल 1084.07 वर्गमी0 अंकित है, पूर्व स्वीकृत मानचित्र स्थल पर निर्माण नही किया गया है । भू–उपयोग परिवर्तन किए जाने हेतु मुख्य नगर नियोजक का स्पष्ट अभिमत /संस्तुति भी अनिवार्य है, जो इस कार्यालय को प्राप्त नही है ।

चूँकि भू–उपयोग परिवर्तन का अधिकार शासन में निहित है । अतः उपरोक्तानुसार संलग्नकों सहित आख्या अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(हरवीर सिंह)
सचिव

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त गढ़वाल मण्डल /अध्यक्ष, हरिद्वार–रुड़की विकास प्राधिकरण, देहरादून को सादर सूचनार्थ ।
2. मेलाधिकारी, कुम्भ मेला–2021, हरिद्वार को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. उपाध्यक्ष महोदय, ह0रु0वि0प्रा0 को सादर सूचनार्थ ।
4. अनु सचिव, आवास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

सचिव
6/1/2020